मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय नियम, 2 012

अधिसूचना फा. क्रमांक 17 (ई) 8- 2012- इक्कीस- ब (एक), दिनांक 2 मार्च, 2012- मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम , 2011 (क्रमांक 8 सन् 2012) की धारा 3 की उपधारा (1) के साथ पठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ,1988 (1988 का 49) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्द्वारा भ्राष्टाचार निवारण अधिनियम , 1988 (1988 का 49) की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ड़) के अधीन मामलों का विचारण करने हेतु जिसके लिए मध्यप्रदेश शासन द्वारा मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम , 2011 की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन घोषणा की गई है, नीचे दी गई सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय स्थापित करती है जिनका मुख्यालय उसके (सारणी के) कालम (3) में विनिर्दिष्ट स्थानों पर होगा, और जिनकी अधिकारिता उसके कालम (4) में विनिर्दिष्ट राजस्व जिलों के समाविष्ट क्षेत्रों के लिए होगी:-

सारणी

अनु- क्रमांक	विशेष न्यायालय का नाम	मुख्यालयों के स्थान	विशेष न्यायालय की अधिकारिता
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	विशेष न्यायालय क्रमांक 1, भोपाल	भोपाल	राजस्व जिला भोपाल, सीहोर, रायसेन और राजगढ़ का समाविष्ट क्षेत्र।
2.	विशेष न्यायालय क्रमांक 2, भोपाल	भोपाल	राजस्व जिला विदिशा,बैतूल, होशंगाबाद और हरदा का समाविष्ट क्षेत्र ।
3.	विशेष न्यायालय क्रमांक 1, जबलपुर	जबलपुर	राजस्व जिला जबलपुर , कटनी, नरसिंहपुर , छिंदवाड़ा , सिवनी, मण्डला, बालाघाट , रीवा, सिंगरौली और सीधी का समाविष्ट क्षेत्र।
4.	विशेष न्यायालय क्रमांक 2, जबलपुर	जबलपुर	राजस्व जिला सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर , टीकमगढ़ , सतना, उमरिया , डिण्डोरी, शहडोल और अनूपपुर का समाविष्ट क्षेत्र ।
5.	विशेष न्यायालय क्रमांक 1, ग्वालियर	ग्वालियर	राजस्व जिला ग्वालियर , शिवपुरी , गुना और अशोकनगर का समाविष्ट क्षेत्र
6.	विशेष न्यायालय क्रमांक 2, ग्वालियर	ग्वालियर	राजस्व जिला श्योपुर , मुरैना , भिण्ड और दतिया का समाविष्ट क्षेत्र।
7.	विशेष न्यायालय क्रमांक 1, इन्दौर	इन्दौर	राजस्व जिला इंदौर, अलीराजपुर , झाबुआ , खरगौन (पश्चिमी निमाड़), खण्डवा (पूर्व निमाड़,) बड़वानी और बुरहानपुर का समाविष्ट क्षेत्र ।
8.	विशेष न्यायालय क्रमांक 2, इन्दौर	इन्दौर	राजस्व जिला देवास, रतलाम , शाजापुर , उज्जैन , मंदसौर , नीमच और धार का समाविष्ट क्षेत्र।